आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, भवनाथपुर के पत्रांक 304 दिनांक 20-9-13 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही थाना एवं जाति के रैयत हैं। जमाबंदी स्वयं आवेदक (विक्रेता) के नाम से कायम है। प्रस्तावित भूमि बिक्री के पश्चात रकबा 8.14½ डी० भूमि विक्रेता के नाम से शेष बचती है। प्रस्तावित भूमि का लगान वर्ष 2013-14 तक जमा किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुशंसा की गई है। विक्रेता द्वारा अपना ब्यान पत्र दिया गया है कि मैं स्वस्थ मन से अपनी भूमि की बिक्री कर रहा हूँ, किसी के बहकावे या दवाब में नहीं कर रहा हूँ एवं अपनी नतनी की सादी हेतु भूमि बिक्री कर रहा हूँ। अतः अंचल अधिकारी, भवनाथपुर के अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित भूमि की बिक्री क्रेता प्रताप सिंह पिता राजकिशोर सिंह ~~सा०~~ जाति खरवार सा० बरवारी पो० झगराखाँड थाना भवनाथपुर जिला गढ़वा राज्य झारखण्ड के हाथों भूमि बिक्री करने की दी जाती है।	

भूमि का विवरण

ग्राम+थाना नं०	खाता	प्लॉट	रकबा	चौहद्दी
चपरी 51	77	138	0-07½ डी०	उत्तर- सरीता देवी द० कच्ची रास्ता व गोपाल सिंह पू० बैजनाथ सिंह प० विक्रेता द्वारा 12 कडी रास्ता उत्तर से दक्षिण

आवेदक एवं अवर निबंधक पदाधिकारी, नगर उन्टारी को सूचित करें।

लेखापित/ संशोधित

उप समाहर्त्ता, भू०सु० नगर उन्टारी।

अ० समाहर्त्ता, भू० सु० नगर उन्टारी।